

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की कटु सच्चाइयाँ

शशि कला वर्मा*

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज या राष्ट्र के विकास की प्रमुख सूचक होती है। देश की सुदृढ़ता और जीवनशक्ति उसके शिक्षित कर्णधारों पर टिकी होती है। प्राथमिक शिक्षा इस शिक्षा-व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और नींव सदृश मजबूती की प्रथम सीढ़ी है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में – “ मैं देश के हर बच्चे की आँखों में आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ। ” अर्थात् बच्चे हमारे परिवार की धरोहर ही नहीं बल्कि देश के कर्णधार व भविष्य-निर्माता भी होते हैं। अतः देश की सरकार व प्रत्येक नागरिक का यह पावन कर्तव्य बनता है कि वह अपने नव-निहालों को उत्तम से उत्तम शिक्षा मुहैया कराएँ। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान (एजुकेशन फ़ॉर ऑल) व मध्याह्न भोजन योजना जैसे अनेक कार्यक्रम सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में निःसंदेह महत्वपूर्ण कदम हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया था। 11 लाख बस्तियों के 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य धारण किए हुए यह व्यापक कार्यक्रम बहुत हद तक अभी तक के सफल प्रयासों में से श्रेष्ठतम माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने हेतु 86वाँ संविधान संशोधन, 2002 पारित किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 45 में यह बात जोड़ी गई कि राज्य को, सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा, जब तक की वे छह वर्ष के नहीं हो जाते। आज प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन-अध्यापन, शिक्षण-पद्धतियों, कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं जैसे तमाम मुद्दों में नवाचार व शैक्षणिक सुधार हेतु नित नूतन प्रयोग समय-समय पर किए जा रहे हैं। स्कूल सुधार से लेकर, पुस्तकों व शिक्षकों की गुणवत्ता तथा छात्रों की संख्या को लेकर किए जा रहे अभिनव प्रयोग निःसंदेह काबिल-ए-तारीफ़ हैं, परंतु कतिपय कटु सच्चाइयाँ भी हम-आप से विलग नहीं हैं—

- विशिष्ट बी.टी.सी. के माध्यम से मात्र शैक्षणिक योग्यता (मेरिट) पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में फ़र्जी अंक-पत्रों का बनना तथा भ्रष्टता के तमाम अन्य प्रकरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं।
- नियमित बी.टी.सी. की योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक किया जाना भी एक अजब प्रयोग ही है, जब कि सच्चाई तो यह है कि करियर

*प्राथमिक विद्यालय, पचघरा खरवहिया नं.-1, लखीमपुर-खीरी (उ.प्र.) 262 723

दिशाकरण (Career Channelisation) के लिए जितना उपयुक्त समय (प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु) 12वीं के ठीक बाद होगा, उतना स्नातक के बाद कदापि नहीं।

- प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति पाने वाले अत्यधिक योग्यताधारी व्यक्तियों को जब छोटी-छोटी सामान्य बातें सिखानी पड़ती हैं, तो ऐसे कार्यों में अपने आपको हीनता से ग्रसित पाते हैं।
- ऐसे लोग कभी-भी अपने व्यवसाय या कार्य के प्रति संतुष्ट होते नहीं दिखते और असहजता व शर्माहट बस यूँ ही मोटी पगार पाने हेतु खानापूर्ति करते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर कठोर आघात ही पहुँचाते हैं।
- शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु प्राथमिक स्तर पर किए गए प्रयासों में अध्यापक उतनी तन्मयता व रुचि नहीं दिखाता, जितनी कि उसे सजगता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
- रुचिपूर्ण शिक्षण, उन्नयन प्रशिक्षण व बहुकक्षा शिक्षण जैसे नवाचारों पर आधारित कार्यशालाओं में प्राथमिक शिक्षक बतौर औपचारिकता ही हिस्सा लेते हैं।
- खेल-कूद, भोजन व परिधानों से जुड़ी सरकारी नीतियों में अधिकांशतः ज़मीनी स्तर पर बंदर-बाँट के किस्से अक्सर सामने आते हैं।
- प्राथमिक शिक्षकों को आये दिन कागज़ी कार्यों, जैसे— बालगणना, जनगणना व

मतदाता सूची के पुनरीक्षण इत्यादि जैसे कार्यों में संलग्न करने के कारण शिक्षण कार्य बाधित होता रहता है। यहाँ तक कि एकल शिक्षक विद्यालयों में काफ़ी समय तक ताला लगने की भी स्थिति आ जाती है।

- डायट में प्रशिक्षकों/प्रवक्ताओं की कमी के चलते बस किसी तरह खानापूर्ति कर सरकारी नीतियों/योजनाओं को अंजाम दिया जाता है।
- औचक निरीक्षण के परिणामस्वरूप दोषी शिक्षकों, अधिकारियों व ग्राम प्रधानों आदि को कोई कठोर सज़ा न देकर, मामले को ठंडे बस्ते में डालकर, रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है।
- महिला शिक्षकों की सुदूर ग्रामीण अंचलों में नियुक्ति व कोई भी उचित आवासीय व परिवहन व्यवस्था का न होना भी समय-समय पर उनकी अस्मिता से जुड़े सत्य उजागर करते रहते हैं।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में आज भी अनेक ऐसी समस्याएँ विद्यमान हैं, जो कॉपल को कमज़ोर कर रहीं हैं, जो न सिर्फ़ पहली आधार-स्तम्भ होती हैं, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सृजक भी हैं, क्योंकि संस्कारों के बीज तो प्राथमिक शिक्षा से ही पनपते हैं और सुदृढ़ धरातल से उन्नत भविष्य की मंज़िल का सुनहरा सपना भी इसी से होकर जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा की ज़मीनी स्तर पर यथार्थ स्थिति पहचान कर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार सहित हम सभी का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए।